भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1709

10 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

1709. श्री वीरेन्द्र सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत लाभार्थियों की अद्यतन सूची न होने के कारण कई पात्र परिवार अभी भी राशन से वंचित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सूची को अद्यतन करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है; और

(ग) क्या कुछ राज्यों को "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड" योजना के कार्यान्वयन में आंकड़ा साझा करने या इसकी पोर्टेबिलिटी में तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो केंद्र सरकार उक्त समस्या का समाधान किस प्रकार कर रही है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है। इस अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की 75% तक और शहरी क्षेत्र की 50% तक की आबादी की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, जो जनगणना 2011 के अनुसार 81.35 करोड़ व्यक्ति है।

इस अधिनियम के अंतर्गत कवरेज काफ़ी अधिक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज के सभी कमजोर और ज़रूरतमंद वर्गों को इसका लाभ मिले। वर्तमान में, 81.35 करोड़ की लक्षित कवरेज की तुलना में, 80.56 करोड़ लाभार्थी निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं।

केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत, लाभार्थियों की पहचान की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की है। इस अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को राशन से वंचित करने के संबंध में किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से कोई सूचना नहीं है।

...2/-

(ग): वर्तमान में, देश भर के सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) सुविधा सक्षम है, जो लगभग 100% एनएफएसए लाभार्थियों को कवर करती है और बिना किसी तकनीकी बाधा के निर्बाध रूप से कार्यान्वित की जा रही है। अब तक, ओएनओआरसी के तहत 197 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज किए गए हैं, जिसमें अंतर-राज्यीय और अंतः राज्यीय दोनों तरह के लेनदेन शामिल हैं।

(घ): विभाग ने भारत सरकार के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को खरीद से लेकर वितरण तक खाद्यान्नों के गुणवत्ता मानकों को समान रूप से बनाए रखने के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली तैयार और जारी की है।

(ङ) और (च): एनएफएसए के अंतर्गत आने वाले लक्षित लाभार्थियों में पोषण के स्तर में सुधार लाने के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बाजरा खरीदने और स्थानीय उपभोग प्राथमिकताओं के अनुसार तथा समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार एनएफएसए लाभार्थियों को वितरित करने की सलाह दी गई है।
